अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सोहनलाल पुनाजी प्रजापति		सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :– 239 /2025

दिनांकः– 13/5/25

–::आदेश::–

प्रार्थी **सोहनलाल पुनाजी प्रजापति** पुत्र श्री **पुनाजी प्रजापति** जाति **प्रजापत** निवासी **मालकोसनी** तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावें।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम **मालकोसनी** की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 935 के खसरा नंबर 317 में दर्ज अशुद्ध नाम **सोहनराम** पुत्र **पुनाराम** जाति **प्रजापत** निवासी **मालकोसनी** का शुद्ध नाम **सोहनलाल पुनाजी प्रजापति** पुत्र श्री **पुनाजी प्रजापति** जाति **कुम्हार** निवासी **मालकोसनी** की राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा